मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 25 सन् 1972

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972

(क्रमांक 25 सन् 1972)

(30-06-2013 तक संशोधित)

मध्यप्रदेश अधिनियम

(क्रमांक २५ सन् १९७२)

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.

२. परिभाषाएं.

३. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन.

४. मंत्रियों आदि को सत्कार भत्ता.

५. मंत्रियों आदि का निवास स्थान.

६. मंत्रियों आदि के लिये वाहन.

७. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि.

८. किसी वृत्ति के करने, सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध.

९. मंत्रियों आदि के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता.

१०. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि का निश्चायक साक्ष्य होगी.

११. नियम बनाने की शक्ति.

१२. धारा ९ (३) के उपबंधों का भूतलक्षी प्रभाव.

१३. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् १९७२.

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२.

[दिनांक १४ अगस्त, १९७२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २२ अगस्त, १९७२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ कहा जा सकेगा. — संक्षिप्त नाम.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "मंत्री" के अंतर्गत "मुख्य मंत्री" आता है. — परिभाषा.

*३. मुख्यमंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये, राज्य मंत्री को पच्चीस हजार रुपये तथा उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को बीस हजार रुपये, प्रतिमास वेतन दिया जाएगा. — मंत्रियों, राज्य मंत्रियों उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन.

**४. (१) मुख्यमंत्री को पचास हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा. — मंत्रियों आदि को सत्कार भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ता.

(२) मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा प्रत्येक राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को सत्ताईस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर एक हजार दो सौ रुपए तथा राज्य के बाहर एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

५. (१) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव भोपाल में, अपने पद की पूरी अवधिभर और उसके अव्यवहित पश्चात् एक मास की कालावधि तक, किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण की बाबत् मंत्री या उप मंत्री या राज्य मंत्री या संसदीय सचिव को वैयक्तिक रूप से कोई प्रभार नहीं देना पड़ेगा. — मंत्रियों आदि का निवास स्थान.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये निवास स्थान में उससे अनुलग्न कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य भवन एवं उसका उद्यान सम्मिलित है और किसी निवास स्थान से संबंधित "अनुरक्षण" में स्थानीय रेटों तथा करों का भुगतान और विद्युत् एवं जल की व्यवस्था सम्मिलित है.

(२) यदि कोई मंत्री या कोई राज्य मंत्री या कोई उप मंत्री या कोई संसदीय सचिव उपधारा (१) का फायदा न उठाये, तो वह उसके बदले में उतना गृह किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि धारा 3 के अधीन उसे देय वेतन के बीस प्रतिशत के बराबर है.

---

* विधि विभाग की अधिसूचना क्र. २५३६-२२७-इक्कीस-अ (प्रा.), दिनांक ३ जून २०१० द्वारा संशोधित.

** विधि विभाग की अधिसूचना क्र. २८२९-१८८-इक्कीस-अ (प्रा.), दिनांक १६ मई २०१२ द्वारा संशोधित.

(३) उपधारा (१) के अधीन भोपाल में निःशुल्क सुसज्जित निवास स्थान के अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव किसी ऐसे अन्य स्थान पर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव के शासकीय निवास का स्थान घोषित करें, सुसज्जित निवास स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उस समय तक के लिये जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहे, उपयोग करने का भी हकदार होगा.

(४) यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उप मंत्री या किसी संसदीय सचिव को उपधारा (१) के अधीन दिये गये निवास स्थान को सुसज्जित करने के बारे में किया जाने वाला व्यय निम्नलिखित आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा:—

मंत्री	..	पैंतीस हजार रुपये
राज्य मंत्री	..	पच्चीस हजार रुपये
उप मंत्री	..	बीस हजार रुपये
संसदीय सचिव	..	पन्द्रह हजार रुपये

(५) निवास-स्थान ऐसे उद्यान के, जिनके लिये कि उपधारा (१) के अधीन उपबंध किया गया है, समारक्षण, वार्षिक मरम्मतों तथा अनुरक्षण के बारे में किये जाने वाले वार्षिक व्यय ऐसी आर्थिक सीमाओं के अध्यधीन होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियम द्वारा अधिकथित की जाय.

मंत्रियों आदि के लिये वाहन.

६ (१) प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक राज्य मंत्री को, प्रत्येक उप मंत्री को तथा प्रत्येक संसदीय सचिव को उसके उपयोग के लिए एक-एक उपयुक्त मोटरयान दिया जायेगा जिसका क्रय तथा अनुरक्षण उन नियमों के अनुसार जो कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाये जाय, सरकारी व्यय से किया जायगा.

* (२) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक मोटरयान के लिये सरकारी व्यय से दो मोटर चालक (शोफर) की भी व्यवस्था करेगी और प्रत्येक मोटरयान के लिये, ऐसे प्रत्येक मोटरयान द्वारा की गई यात्राओं (जो उन यात्राओं से भिन्न हो जिनके लिये कि यात्रा-भत्ता अनुज्ञेय है) के लिये उपयुक्त मोटर ईंधन का भी प्रदाय करेगी जो मंत्री को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ पचास लीटर, राज्य मंत्री को दिये गये मोटरयान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक तीन सौ लीटर, उप मंत्री को दिये गये मोटर यान की दशा में अधिक से अधिक दो सौ पचहत्तर लीटर और संसदीय सचिव को दिये गये मोटर यान की दशा में प्रतिमास अधिक से अधिक दो सौ पचास लीटर होगा.

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के लिये चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार आदि.

**"७. (१) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव और यथास्थिति मंत्री/राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव के कुटुम्ब के सदस्य चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार ऐसे पैमाने तथा ऐसी शर्तों पर, निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ (१९५१ का सं. ६१) के अधीन समय-समय पर बनाए गए चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार संबंधी नियमों के अधीन लागू होती हैं.

(२) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव, जबकि वह भारत से बाहर ऐसे दौरे पर हो, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया हो, ऐसी चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार का भी निःशुल्क हकदार होगा जो उस स्थान पर भारत मिशन (इंडिया मिशन) के प्रधान को अनुज्ञेय हो.".

किसी वृत्ति के करने सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने आदि का प्रतिषेध.

८. कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव —

(क) अपने पद की, जिसके लिये कि वह वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता है, अवधि के दौरान कोई वृत्ति नहीं करेगा या किसी व्यापार में नहीं लगेगा या मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई नियोजन पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये ग्रहण नहीं करेगा, और

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कोई वेतन या भत्ता प्राप्त करने का उस दशा में हकदार नहीं होगा जबकि वह अपने पद के लिये वेतन तथा भत्ता प्राप्त करता हो.

---

* अधिसूचना क्रमांक १०६४८/इक्कीस/अ (प्रा), दिनांक ५ मई १९८७ द्वारा संशोधित.

** विधि विभाग की अधिसूचना क्र. ५१७१-इक्कीस-अ (प्रा), दि. २४-५-१९८९ द्वारा संशोधित.

९. (१) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार,— *मंत्रियों आदि के लिये यात्रा तथा दैनिक भत्ता.*

(क) (एक) पद ग्रहण करने के लिये, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास-स्थान से भोपाल तक की गई यात्रा के संबंध में, और

(दो) पद मुक्त होने पर भोपाल से, भोपाल के बाहर अपने सामान्य निवास-स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में अपने स्वयं के लिये तथा अपने कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के लिये जो उस पर आश्रित हो और अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का, और

(ख) उन दौरों के संबंध में, जो कि उसने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का,

हकदार होगा.

(२) इस धारा के अधीन किसी भी यात्रा भत्ते का नकद भुगतान किया जा सकेगा या उसके बदले में निःशुल्क शासकीय परिवहन की व्यवस्था की जा सकेगा.

(३) कोई भी मंत्री, कोई भी राज्य मंत्री, कोई भी उप मंत्री तथा कोई भी संसदीय सचिव उपधारा (१) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये दौरों के लिये देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के अतिरिक्त इस बात का हकदार होगा कि जब वह ऐसे दौरों के दौरान विश्राम भवनों (सरकिट हाउसेज) तथा विश्राम गृहों (रेस्ट हाउसेज) में, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो, ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में वास-सुविधा तथा विद्युत् की व्यवस्था उस ठहरने की कालावधि के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहे.

* "९-क. इस अधिनियम के अधीन किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उपमंत्री तथा किसी संसदीय सचिव को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराए का भुगतान किए बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं, यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव से आय कर नहीं लिया जाएगा और वह आय-कर यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. किसी मंत्री, किसी राज्य मंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को देय उक्त भत्तों तथा परिलब्धियों से प्रोद्भूत आय की कुल रकम में से, समय-समय पर अनुज्ञेय आय-कर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हों; घटाई नहीं जाएंगी.". *भत्ते, परिलब्धियों में से आय-कर नहीं लिया जाएगा.*

१०. वह तारीख, जिसको कि कोई व्यक्ति मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव हो जाय अथवा मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव न रह जाय, राजपत्र में अधिसूचित की जायगी और कोई भी ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस तारीख को इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव हुआ था इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव नहीं रह गया था. *मन्त्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना उनकी नियुक्ति आदि का निश्चायक साक्ष्य होगी.*

११. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी. *नियम बनाने की शक्ति.*

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

१२. धारा ९ की उपधारा (३) के उपबंध २१ जनवरी १९५७ को प्रवृत हुए समझे जाएंगे. *धारा ९ (३) के उपबंधों का भूतलक्षी प्रभाव.*

१३. मध्यप्रदेश सैलरीज एण्ड अलाउन्सेज मिनिस्टर्स एक्ट, १९५६ (क्रमांक ५ सन् १९५७) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. *निरसन.*

---

* विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. ७८३१-२१-अ (प्रा), दि. २०-८-१९९७ द्वारा संशोधित.

MADHYA PRADESH ACT

No. 25 of 1972.

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Definitions.
3. Salaries of Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.
4. Sumptuary allowances to Ministers, etc.
5. Residence of Ministers, etc.
6. Conveyance for Ministers, etc.
7. Medical attendance and treatment, etc., to Ministers, Ministers of States, Deputy Ministers and Parliamenatry Secretaries.
8. Prohibition against practising any profession, drawing salary as member, etc.
9. Travelling and daily allowance to Ministers, etc.
10. Notification respecting appointment, etc. of Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries to be conclusive evidence therof.
11. Power to make rules.
12. Provisions of Section 9 (3) to have retrospective effect.
13. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 25 of 1972.

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972.

[Received the assent of the Governor on the 14th August 1972; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette", Extraordinary, dated the 22nd August 1972].

An Act to provide for the Salaries and Allowances of the Ministers.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twenty-third Year of the Reublic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

Definition.

2. In this Act unless the context otherwise requires, "Ministers" includes "Chief Minister".

Salaries of Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

*3. There shall be paid a salary per mensem of rupees thirty thousand to the Chief Minister, rupees twenty seven thousand to each Minister, rupees twenty five thousand to Minister of State, rupees twenty thousand to Deputy Minister and Parliamentary Secretary.

Sumptuary Allowance, Constituency Allowance and Daily Allowance.

** 4. (1) There shall be paid to the Chief Minister a Sumptuary Allowance of fifty thousand rupees, to each Minister thirty thousand rupees and to each Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary twenty five thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Chief Minister and to each Minister a Constituency Allowance of twenty seven thousand rupees per mensem and to each of Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a Constituency Allowance of twenty seven thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a Daily Allowance of one thousand two hundred rupees within the State and one thousand five hundered rupees outside the State per day during the term of office.

Residence of Ministers etc.

5. (1) Each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary shall be entitled, without payment of rent, to the use of a furnished residence throughout his term of office at Bhopal and for the period of the one month immediately thereafter, and no charge shall fall on the Minister or Minister of State or Deputy Minister or Parliamentary Secretary personally in respect of the maintenance of such residence.

Explanation.—For the purposes of this Section "residence" includes the staff quarters and other building appurtenant there to and the garden thereof and "maintenance" in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricity and water.

(2) If a Minister or a Minister of State, or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary, does not avail of the benefit of sub-section (1), he shall, in lieu thereof, be entitled to a house-rent allowance equal to twenty per centum of the salary payable to him under Section 3.

---

* Law Departments Notification No. 2536-227-XXI-अ (प्रा), dated the 3rd June 2010.

** Law Departments Notification No. 2829-188-XXI-अ (प्रा), dated the 16th May 2012.

(3) In addition to a free furnished residence at Bhopal under sub-section (1), each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary shall also be entitled to the use of a furnished residence without payment of rent at any other place which the State Government may, from time to time for purpose of this Act, declare to be the place of official residence of the Minister, Minister of State, Deputy Minister or Parliamentary Secretary, as the case may be, so long as such declaration remains in force.

(4) The expenditure to be incurred in respect of furnishing of the residence provided to a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary, as the case may be, under sub-section (1) shall be subject to the following monetary limits :—

Minister	..	Thirty-five thousand rupees.
Minister of State	..	Twenty-five thousand rupees.
Deputy Minister	..	Twenty thousand rupees.
Parliamentary Secretary	..	Fifteen thousand rupees.

(5) The annual expenditute to be incurred in respect of upkeep, annual repair and maintenance of the residence and garden provided under sub-section (1) shall be subject to such monetary limits as may be laid down by rule made in this behalf by the State Government.

Conveyance for Ministers, etc.

6. (1) There shall be provided to each Minister, to each Minister of State to each Deputy Minister and to each Parlimentary Secretary for his use a suitable motor-vehicle purchased and maintained at public expenses in accordance with the rules to be made by the State Government in that behalf.

* (2) The State Government shall also provide at public expense two chauffer for each such motor vehicle and also supply for each motor vehicle, motor fuel consumed for journeys (other than journeys for which travelling allowance is admissible) performed by each such motor vehicle subject to a maximum of three hundred and fifty litres per month in the case of motor vehicle provided to a Minister, three hundred litres per month in the case of motor vehicle provided to a Minister of State, two hundred and seventy five litres per month in the case of a motor vehicle provided to a Deputy Minister and two hundred and fifty litres per month in the case of motor vehicle provided to a parliamentary Secretary.

Medical attendance and treatment etc. to Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

** "7. (1) A Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, and a Parliamentary Secretary and the members of the family of the Minister, the Minister of State, the Deputy Minister or Parliamentary Secretary, as the case may be, shall be entitled to medical attendance and treatment, free of charge, on the scale and conditions applicable to, the members of the All India Services and members of them families under the rules relating to medical attendance and treatment, made from time to time, under the All India Service Act, 1951 (XXI of 1951).

(2) While on tour undertaken by him in the discharge of his official duties outside India, a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister and a Parliamentary Secretary shall also be entitled to such medical attendance and treatment, free of charge, as may be admissible to the Head of the India Mission at that place.".

Prohibition against Practicing any Profession, drawing Salary as member etc.

8. A Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, and a Parliamentary Secretary shall not,—

(a) during the tenure of his office for which he draws salary and allowance, practice any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any employment other than his duties as Minister, Minister of State, Deputy Minister or Parliamentary Secretary ; and

* Law Departments Notification No. 10648-XXI-अ (प्रा) dated the 5th May 1987.

** Law Departments Notification No. 5171-XXI-अ (प्रा) dated the 24th May 1989.

(b) While he draws salary and allowance for his office be entitled to any salary or allowance as member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Travelling and Daily allowance to Minister etc.

9. (1) A Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, and a Parliamentary Secretary shall in accordance with the made rule made in this behalf by the State Government, be entitled to—

(a) travelling allowance for himself and the members of his family dependent upon him and for the transport of his and his family's effects—

(i) in respect of the journey to Bhopal from his usual place of residence out of Bhopal for assuming office ; and

(ii) in respect of the journey from Bhopal to usual place of residence out of BHOPAL on relinquishing office; and

(b) travelling and daily allowances in respect of tours undertaken by him in the discharge of his official duties whether by land, Isea, or air.

(2) Any travelling allowance under this section may be paid in cash or free official transport provided in lieu thereof.

(3) In addition to travelling and daily allowances payable in respect of tours specified in clause (b) of sub-section (1), a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, and a Parliamentary Secretary shall be entitled, without payment of any charge, to accommondation in and provision of electricity at circuit houses and Rest Houses maintained by the State Government, for the period of their stay during such tours.

Allowances and perquisites to be exclusive of income tax.

* 9-A. All allowance payable and furnished residence without payment of rent and other prequisities admissible to a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, and a Parliamentary Secretary under this Act shall be exclusive of Income Tax which shall be payable by the State Government at the maximum rate payable by a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, or a Parliamentary Secretary as the case may be. Out of the total amount of income accruing from the above allowance and perquisites payable to a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, or a Parliamentary Secretary the amount of the limit of exemption from Income Tax and standard deduction, what soever as admissible from time to time, shall not be deducted.".

Notification respecting appointment, etc., of Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries to be conclusive evidence thereof.

10. The date on which any person becomes or ceases to be a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, or a Parliamentary Secretary, shall be notified in the Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became or ceased to a Minister, a Minister of State, a Deputy Minister, or a Parliamentary Secretary on that date for all the purposes of this Act.

Power to make rules.

11. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Provisions of Section 9(3) to have retrospective effect.

12. The provisions of sub-section (3) of Section 9 shall be deemed to have come into force on the 21st January, 1957.

Repeal.

13. The Madhya Pradesh Salaries and Allowances of Ministers Act, 1956 (V of 1957), is hereby repealed.

* Law Departments Notification No. 7831-XXI-अ (प्रा) dated the 20th August 1997.

GCPB—158—USGAD—30-5-13—250.